82

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 1756-एक/2009 विरूद्ध आदेश दिनांक 23-10-2009 - पारित व्दारा आयुक्त, सागर संभाग, सागर - प्रकरण कमांक 82-अ-23/2007-08 अपील

मनोहर पुत्र तख्त सिंह लोधी
ग्राम बकसपुर तहसील बीना
जिला सागर , मध्य प्रदेश ---अपीलांट

विरूद्ध

1- लटोरे (मृतक) पुत्र गणेश चमार व्दारा
मिटठूलाल पुत्र लटोरे, निवासी ग्राम
लायरा तहसील कुरवाई जिला विदिशा

2- मध्य प्रदेश शासन ---रिस्पाण्डेन्टस

(अपीलांट के अभिभाषक श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी तथा श्री पी.के.तिवारी)
(रिस्पा0 क-1 के अभिभाषक श्री जितेन्द्र त्यागी)
(रिस्पा0 क-2 के पैनल लायर श्री डी0के0शुक्ला)

आ दे श

(आज दिनॉक 7 -12-2016 को पारित)

यह अपील आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 82-अ-23/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-10-2009 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम बगसपुर तहसील बीना की भूमि

सर्वे नंबर 81/10 बंदोवस्त के वाद का नया सर्वे नंबर 220/1रकबा 2.01 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) का पटटा प्रकरण कमांक 71/अ-19/ 1965-66 से मृतक रिस्पा0 कमांक-1 को प्रदान किया गया। इस पटटेदार व्दारा वादग्रस्त भूमि को पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 28-6-1986 से अपीलांट को विकय कर दिया।

ग्राम बगसपुर के पटवारी ने नायव तहसीलदार बीना को रिपोर्ट प्रस्तुत की कि पटटाग्रहीता ने बिना सक्षम अनुमति के भूमि को अपीलांट के हित में विकय किया गया है, इस पर से नायव तहसीलदार बीना ने प्रकरण कमांक 100/अ-19/2000-01 में प्रतिवेदन दिनांक 30-12-2000 लिखकर कलेक्टर सागर को प्रस्तुत किया, जिस पर से अपर कलेक्टर जिला सागर ने प्रकरण कमांक 53/अ-23/2003-04 निगरानी पंजीबद्व की तथा पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 10-12-2007 पारित किया एंव संहिता की धारा 165 (7-बी) के उल्लॅघन में भूमि विकय होना मानकर वादग्रस्त भूमि शासन हित में वेष्टित करने के आदेश दिये । इस आदेश के विरूद्व अपीलांट ने आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील कमांक 82/अ-23/2007-08 प्रस्तुत की। आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने आदेश दिनॉक 23-10-2009 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह अपील है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने पर स्थिति यह है कि वादग्रस्त भूमि का लटोरे पुत्र गनेश चमार पटटाग्रहीता एंव मूल भूमिस्वामी था । शासकीय अभिलेख में अनावेदक क-1 भूमिस्वामी के रूप में अभिलिखित रहा है एंव भूमि विकय से प्रतिबन्धित नहीं लिखी थी, जिसके कारण विकय पत्र को उप पंजीयक व्दारा अभिलेख के परीक्षण उपरांत दिनॉक 28-6-1986 को संपादित किया है। विचार योग्य है कि क्या वर्ष 1965-66 में पटटे पर प्राप्त भूमि का भूमिस्वामी भूमि विकय कर सकता है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 में व्यवस्था दी गई है कि कोई भी पटटेदार पटटे पर प्राप्त भूमि पर निरन्तर 10 वर्ष तक खेती करते रहने से भूमिस्वामी हो जाता है और ऐसा

भूमिस्वामी पटटे पर प्राप्त भूमि के सभी प्रयोजनों के उपयोग हेतु स्वतंत्र माना गया है। मोहन तथा अन्य एक विरूद्व मध्य प्रदेश राज्य 1999 रा0नि0 363 का दृष्टांत है कि * भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 158 (3) तथा 165 (7-ख) (सन 1992 में यथा अंतःस्थापित) - उद्वेश्य तथा कारण - राज्य सरकार, कलेक्टर अथवा अन्य किसी आबंटन अधिकारी से प्राप्त भूमि का भूमिस्वामी - आबंटन के 10 वर्ष के भीतर ऐसी भूमि अंतरित करने से निवारित है - तत्पश्चात् किया गया अंतरण विधिमान्य है * किन्तु अपर कलेक्टर सागर एंव आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने उक्त पर ध्यान न देने में भूल की है।

5/ प्रकरण के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि जब वादग्रस्त भूमि का वर्ष 1965-66 से पटटाग्रहीता लटोरे पुत्र गणेशा चमार है एंव उसके व्दारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28-6-1986 से वादग्रस्त भूमि अपीलांट मनोहर पुत्र तखत सिंह लोधी को उसके अल्पवयस्क रहते हुये विक्रय की है और इस विक्रय पत्र पर से तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 27 अ-41/1986-87 में केता अपीलांट का नायव तहसीलदार ने नामान्तरण भी किया है जब कि वर्ष 1986 में क्रय की गई एंव वर्ष 1965-66 में पटटे पर प्राप्त भूमि का पटटा स्वमेव निगरानी में 40 वर्ष के अंतराल में निरस्त करना उचित माना नहीं जावेगा। मोहन तथा अन्य एक विरूद्व मध्य प्रदेश राज्य 1999 रा0नि0 363 का दृष्टांत है कि * भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 50 - स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण की शक्ति - युक्तियुक्त समय के भीतर प्रयुक्त की जाना चाहिये - एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है *

विचाराधीन प्रकरण में पटटा प्रदान करने के लगभग 40 वर्ष के अंतराल वाद पटटा निरस्त कर भूमि शासकीय दर्ज करना आदेशित हुई है तथा वर्ष 1986 में क्रय की गई वादग्रस्त भूमि एंव विक्रय पत्र के आधार पर तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 27 अ-41/1986-87 में केता आवेदक का नायव तहसीलदार व्दारा किया गया नामान्तरण भी 20 वर्ष के अंतराल वाद स्वमेव निगरानी में

शून्य माना गया है। पाया गया कि अपर कलेक्टर सागर व्दारा प्रकरण कमांक 63 अ-23/2003-04 स्वमेव निगरानी में की गई कार्यवाही अवधि वाधित है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 10-12-2007 दूषित प्रकिया पर आधारित होने से निरस्त किया जाने योग्य है इसी प्रकार आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 82-अ-23/2007-08 अपील में आदेश दिनांक 23-10-2009 पारित करते समय उक्त तथ्यों पर ध्यान न देने के कारण उनके व्दारा पारित आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 82-अ-23/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-10-2009 तथा अपर कलेक्टर सागर व्दारा प्रकरण कमांक 53 अ-23/ 2003-04 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-12-2007 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त जाते हैं तथा तहसीलदार बीना को आदेश दिये जाते हैं कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के नाम शासकीय अभिलेख में दर्ज की जावे।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर